चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 23.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 23.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 23.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में भाद्रपद मास अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु रामघाट,निर्मोही अखाड़ा,टैम्पो स्टैण्ड,यूटीपी तिराह,चित्रागोकूलपुर, परिक्रमा मार्ग मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थाना रैपुरा पुलिस टीम ने अवैध तमंचे से गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

अभियुक्त का नाम पता का विवरण-

राकेश तिवारी पुत्र स्व0 श्री राम तिवारी निवासी ग्राम भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद

खूना लूद व सादा मिट्टी प्लास्टिक की डिब्बी में

गिरफ्तारी का स्थान-दिनाँक व समय-

अभियुक्त का घर ग्राम भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट दिनांक- 22.08.2025 समय 17.50

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.08.2025 को वादी भागवत तिवारी पुत्र इन्द्रजीत निवासी हनुमान जी का डेरा भौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी गयी कि वादी के भाई विनोद तिवारी उम्र 24 वर्ष जो डम्फर न0 यूपी 78 जेपी 5589 से गिट्टी लादकर गोरखपुर जा रहा था रास्ते में तिवारी ढाबा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के आगे नहर के बाई तरफ गाड़ी खडी कर हार्न बजा दिया जिससे तिवारी ढाबा का वर्कर नाराज होकर गाली गलौच करने लगा, वादी के भाई द्वारा ढाबा में जाकर उलाहना देने पर ढाबा मालिक राकेश तिवारी उपरोक्त द्वारा हाथ में लिये तमंचे से गोली मार दिया जो जबडें के नीचे जाकर लगी। सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0स0 196/25 धारा 109,352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक रैपुरा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दिनांक 22.08.2025 को अभियुक्त राकेश कुमार उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर उसके घर भौरी थाना रैपुरा से गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ, बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला

2.आरक्षी शिवम मिश्रा

3.आरक्षी चालक अंकित शुक्ला

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की 03 घटनाओं का खुलासा करते हुए 04 अन्तर्जनपदीय चोर गिरफ्तार को चोरी के सामान सहित घटना में प्रयुक्त 01 अदद कार शिफ्ट डिजायर कार, 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.सुनील लोधी पुत्र राम आसरे निवासी जगन खेडा थाना पी0जी0आई0 जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष
2.रंजीत पासी पुत्र महंगू निवासी बंगला बाजार उसरी थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष
3.सुरेन्द्र पासी पुत्र राम सिंह निवासी बंगला बाजार उसरी थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष
4.आशू पासी पुत्र स्व0 ज्ञान चन्द्र निवासी बंगला बाजार उसरी थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 29 वर्ष

अपराधिक इतिहास

1.सुनील लोधी पुत्र राम आसरे निवासी जगन खेडा थाना पी0जी0आई0 जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष

1.मु0अ0स0 756/2018 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
2. मु0अ0स0 45/2019 धारा 380/411 भादवि0 थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
3. मु0अ0स0 50/2019 धारा 399/402 भादवि0 थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
4. मु0अ0स0 102/2019 धारा गिरोहबन्द अधिनियम 1986 थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
5. मु0अ0स0 72/2020 धारा 411,419,420,467,468,471 भादवि0 थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 305,331(4), 351(3) बीएनएस थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट
7. मु0अ0सं0 63/2025 धारा 305(ई) थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।
8. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 331(4), 305ए बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
9. मु0अ0सं0 200/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

रंजीत पासी पुत्र महंगू निवासी बंगला बाजार उसरी थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष

1.मु0अ0स0 756/2018 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
2. मु0अ0स0 45/2019 धारा 380/411 भादवि0 थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
3. मु0अ0स0 50/2019 धारा 399/402 भादवि0 थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
4. मु0अ0स0 102/2019 धारा गिरोहबन्द अधिनियम 1986 थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
5. मु0अ0स0 51/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 305,331(4), 351(3) बीएनएस थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट
7. मु0अ0सं0 63/2025 धारा 305(ई) थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।
8. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 331(4), 305ए बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
9. मु0अ0सं0 200/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

सुरेन्द्र पासी पुत्र राम सिंह निवासी बंगला बाजार उसरी थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष

1.मु0अ0स0 586/2022 धारा 323/325/504 भादवि0 थाना आशियाना जनपद लखनऊ
2. मु0अ0स0 222/2023 धारा 392/411 भादवि0 थाना आशियाना जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 305,331(4), 351(3) बीएनएस थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट
7. मु0अ0सं0 63/2025 धारा 305(ई) थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।
8. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 331(4), 305ए बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
9. मु0अ0सं0 200/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

आशू पासी पुत्र स्व0 ज्ञान चन्द्र निवासी बंगला बाजार उसरी थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 29 वर्ष

1.मु0अ0स0 106/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना आशियाना जनपद लखनऊ

2. मु0अ0स0 889/2019 धारा 147,323,354ख,427,452,504 भादवि0 थाना आशियाना जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 305,331(4), 351(3) बीएनएस थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट
7. मु0अ0सं0 63/2025 धारा 305(ई) थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।
8. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 331(4), 305ए बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
9. मु0अ0सं0 200/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-
एक अदद तमंचा 315 बोर
एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
एक झोले में दो बण्डल तार
एक बोरी में की-बोर्ड व माउस
एक बोरी में सीलिंग पंखा व दो अदद प्लास्टिक के बोर्ड
चोरी में प्रयुक्त वाहन शिफ्ट VXL

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-
ग्राम बछरन थाना पहाड़ी, 22.08.2025 समय 21.50 बजे

संक्षिप्त विवरणः-
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.08.2025 को जनपद बांदा पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष पहाड़ी को सूचना दिया गया कि कुछ संदिग्ध लोग संदिग्ध वाहन से पहाड़ी की ओर जा रहे है तत्काल थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो वह लोग गाड़ी को धक्का देते हुए भाग गये। इस पर थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा पीछा करते हुए गये तो संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश किया गया तो गाड़ी गोसाईपुर में मिली संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी छोड़कर भाग गये थे। दिनांक 21.08.25 को समय करीब 08.05 बजे सुबह थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी द्वारा जरिये दूरभाष नं0 9889032112 पर प्रभारी गनीवां को सूचना दिया कि पीआरवी 112 से काल आया है कि ग्राम चनहट में जनता के लोगो द्वारा 04 चोरो को पकड़ा है, मौके पर पहुंचे। तत्काल चौकी प्रभारी गनीवा मय हमराहीयान के ग्राम चनहट पहुंचा तो देखा कि गांव के बाहर खेतो में पूरब दिशा में जनता की काफी भीड थी, कुछ समय पश्चात थानाध्यक्ष राजापुर मय हमराहीयान के मौके पर पहुंचकर जनता को समझाया गया तत्पश्चात गांव वालो द्वारा पकडे गये 04 व्यक्तियों को पुलिस को सुपुर्द किया गया । गांव के करीब 200 व्यक्ति मौजूद थे तथा काफी आक्रोसित थे । हिकमत अमली से चारो व्यक्तियो को सुरक्षा की दृष्टि से भीड से निकालकर सीएचसी राजापुर में आवश्यक दवा दिलाकर भीड से बचाव करते हुए सुरक्षित गाड़ी में बैठाया गया । चारो व्यक्ति काफी डरे सहमें थे, नाम पता पूछा गया था तो एक ने अपना नाम सुनील लोधी पुत्र राम आसरे निवासी जगन खेडा थाना पी0जी0आई0 जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष, दूसरे ने अपना नाम रंजीत पासी पुत्र महंगू निवासी बंगला बाजार उसरी थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष, तीसरे ने अपना नाम सुरेन्द्र पासी पुत्र राम सिंह निवासी बंगला बाजार उसरी थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 20 वर्ष, चौथे ने अपना नाम आशू पासी पुत्र स्व0 ज्ञान चन्द्र निवासी बंगला बाजार उसरी थाना आशियाना जनपद लखनऊ उम्र 29 वर्ष बताया । दिनांक 22.08.25 को उपरोक्त चारो व्यक्तियो से पूछंताछ की गयी तो 04 व्यक्तियों ने बताया कि हम लोग दिनांक 20.08.25 की रात में अपने परिचित आशीष पनाटी निवासी लिलमथा थाना कैण्ट जनपद लनखऊ की शिफ्ट डिजायर कार नं0- UK 04 L 4000 को लेकर चोरी करने के लिये निकले थे । कार की नम्बर प्लेट बदल बदल कर कार में लगा लेते थे और इस कार से चोरी करते थे । दिनांक 21.08.25 को रात करीब 02.00 बजे पहाडी से राजापुर की तरफ अपनी गाडी से जा रहे थे कि पुलिस को देखकर हम लोग बहुत तेज गति से भागे । पुलिस हम लोगो का पीछा करने

लगी तब हम लोग खुद को घिरा समझकर गाडी को गोसाईपुर रोड किनारे खडी करके अंदर खेतो की तरफ भाग गये थे। हम लोगो की गाडी भी पंचर हो गयी थी रात में हम लोग खेतो से होकर ग्राम चनहट चोरी करने जा रहे थे कि गांव के बाहर गांव के लोगो ने हम लोगो को पकड लिया। हम लोगो को काफी मारे पीटे हम लोग पहले पहाडी ब्लाक में कम्प्यूटर व उसका सामान, सरधूवा के गांव अर्की में सरकारी स्कूल से कम्प्यूटर व उसका सामान तथा चार - पांच माह पूर्व राजापुर के ग्राम पराको में एक घर से विजली के वायर के बण्डल मर्करी व नगद 35000/- रू आदि चोरी किये थे। समस्त सामान चलते फिरते अपरिचित लोगो को बेच दिया, बिक्री का पैसा व नगद रूपये हम लोग आपस मे बराबर बराबर बांट लेते है, जो खर्च हो गया है। पुनः कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग डण्ड़े में किलच वायर फंसाकर सूअरो व बकरियो की भी चोरी कर प्लास्टिक की रस्सी से पैर बांधकर कार में डालकर ले जाते है। ताला आदि काटने के लिए हम लोग पेंचकस, प्लास व रस्सी काटने के लिए ब्लेड कटर व गाडी का नम्बर बदलने के लिए एक फर्जी नम्बर प्लेट नम्बर UK 04 L 4000 रखते है और सुरेन्द्र पासी सुरक्षा के दृष्टि से अवैध तमंचा कारतूस रखता है। अगर कोई विरोध करता है तो फायर कर देता है और हम लोग भाग जाते है। हम लोग खाली सरकारी संस्थानो में और घरो में चोरी करते है। ब्लाक पहाडी से चोरी किये कि बोर्ड माउस व थाना राजापुर के ग्राम पराको से चोरी किये दो बण्डल तार व भरतकूप के बांदा रोड से चोरी किये एक पंखा नया दो बोर्ड प्लास्टिक सफेद व तमंचा कारतूस व एक नम्बर प्लेट नम्बर UP 32 QL 7371 हमारी गाडी में रखी है। चल कर हम लोग उपरोक्त सामान गाडी से बरामद करा सकते है।

उपरोक्त चारो व्यक्तियो को लेकर गोसाईपुर आया तो चारो व्यक्तियो ने बताया कि हम लोग बछरन गेट के सामने गाडी खडी करके भाग गये थे। उपरोक्त गाडी वहां पर मौजूद नही मिली आस पास के लोगो द्वारा बताया कि थाना पहाडी की पुलिस आयी थी और दिनांक 21.08.25 को सुबह गाडी टूचेन कराकर थाना पहाडी ले गये है। राजापुर पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष पहाडी से जरिये दूरभाष उपरोक्त शिफ्ट डिजायर कार के सम्बन्ध में वार्ता की गयी बताया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से कार को टूचैन कराकर थाना पहाडी गेट के बाहर खडी करा दिया हैं। चारो व्यक्तियो को गोसाईपुर से रवाना होकर थाना पहाडी लाया गया। शिफ्ट कार के गेट खुलवाकर देखा गया तो ड्राइवर वाली सीट के पीछे एक अदद नम्बर प्लेट नं0 UP 32 QL 7371, एक डण्डा मय किलच वायर, एक पैंचकस, लाल मुठिया व एक पैंचकस लोहे राड का एक सिरा मुडा हुआ, एक लोहे की राड एक सिरे पर लोहे की चकरीनुमा लगी हुई हैं। एक कटर सफेद रस्सी आदि काटने वाला, दो बण्डल सफेद प्लास्टिक की पतली रस्सी बरामद हुआ। अभियुक्त सुरेन्द्र पासी उपरोक्त द्वारा बताया कि तमंचा कारतूस ड्राइवर के बगल वाली सीट के नीचे रखा है। अभि0 सुरेद्र पासी द्वारा सीट के नीचे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर निकालकर दिया गया जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया। अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि कार के पीछे डिग्गी में चोरी के सामान रखे है डिग्गी को खोलकर देखा गया।

जिसके बारे अभियुक्तो से पूछा गया तो बताया कि साहब ये दो बण्डल तार हम लोग राजापुर ग्राम पराको से एक घर में चोरी किये थे जिसका सारा सामान बेच दिये थे शेष यही दो बण्डल बचा है। एक सफेद बोरी में एक अदद की- बोर्ड पुराना मय माउस के बरामद हुआ जिसके बारे में पूछने पर अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि ब्लाक पहाडी से कम्प्यूटर व उसका सामान चोरी किये थे और सामान बेच दिया है। एक सफेद बोरी में एक सीलिंग पंखा नया कत्थई रंग व दो प्लास्टिक के सफेद बोर्ड बरामद हुये पूछने पर अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि भरतकूप में बांदा रोड पर एक घर से चोरी किये थे उसी चोरी का शेष बचा हुआ है। कार के प्रपत्र तलब किये गये तो नही दिखा सके। अभियुक्त आशु पासी बताया गया कि कार के कोई कागजात नही है हम लोगो ने कार की असली न0 प्लेट UP 32 QL 7371 निकालकर गाड़ी में रख दिया था,जानबूझकर हम लोगो ने फर्जी न0 प्लेट न0 UK 04 L 4000 कार में लगा दिया था। हमलोग दो तीन नम्बर प्लेट रखते है।

तत्पश्चात गनीवा पुलिस द्वारा गाडी में लगी न0 प्लेट UK 04 L 4000 को ई- चालान एप से चेक किया गया तो वर्ना 16 सी0आर0 डी0आई0 मोहम्मद परवेज पुत्र मो0 हसन निवासी हसन हाउस न0 13.11 लाइन न0 1 वार्ड न0 23 आजाद नगर हलद्वानी नैनीताल के नाम अंकित है, जबकि बरामद कार शिफ्ट डिजायर है। कार में रखी न0 प्लेट UP 32 QL 7371 को चेक किया गया तो शिफ्ट VXL श्री दीपक पुत्र गंगा प्रसाद निवासी 441 जी0 गऊशाला रोड बालागंज लखनऊ के नाम अंकित है। थाना राजापुर के ग्राम पराको में हुई चोरी के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 60/2025 धारा 331(4),305ए बीएनएस बनाम अज्ञात, पहाड़ी ब्लाक में कम्प्यूटर व उसके सामान की हुई चोरी के सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 63/2025 धारा 305(ई) बनाम अज्ञात एवं थाना सरधुवा के ग्राम अर्की में हुई चोरी के सम्बन्ध मे थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 193/2025 धारा 305,331(4),351(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण से अवैध तंमचा व कारतूस रखने, नम्बर प्लेट कूट रचित गाडी में लगाकर चलने,चोरी करने,सामान रखने का वैध प्रपत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहे। अभि0गण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुये व कारण गिरफ्तारी बताते हुए अभियुक्त गणो को मय बरामद शुदा सभी चोरी के माल व तंमचा व कारतूस सहित कब्जा पुलिस में लेकर समय करीब 21.50 बजे हिरासत में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 200/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया । उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजापुर,थाना पहाड़ी,थाना सरधुवा में पंजीकृत मुकदमों में धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गयी तथा वाहन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी गनीवा उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह

2.मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार

3.आरक्षी रामकेश कुशवाहा

4. आरक्षी प्रकाश मिश्रा

5. आरक्षी अजय मिश्रा